रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2017/माघ 14, 1938
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2017/MAGHA 14, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 105(अ).–केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 12, धारा 15, धारा 27, धारा 51, धारा 64 और धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि जब इस अधिसूचना की प्रतियॉ, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तब उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से सात दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव(परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को भेजे जा सकेंगें।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (...................संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाए, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, –

(i) नियम 32 में, परंतुक में 'राज्यों द्वारा उद्गृहीत की जा सकती हैं', शब्दों के पश्चात् ' सारणी में विनिर्दिष्ट राशि से कम फीस और उद्गृहीत भी की जा सकती है' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) नियम 81 में, परंतुक में 'राज्यों द्वारा उद्गृहीत की जा सकती हैं', शब्दों के पश्चात् ' सारणी में विनिर्दिष्ट राशि से कम फीस और उद्गृहीत भी की जा सकती है' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. आर.टी.11017/12/2013–एम.वी.एल.,]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2017

G.S.R. 105(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under Sections 8, 9, 11, 12, 15, 27, 51, 64 and 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of seven days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (______Amendment) Rules, 2017.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

   (i) in rule 32, in the proviso, after the words "States may levy", the words "fee lower than the amount specified in the table and may also levy" shall be inserted;

   (ii) in rule 81,in the proviso, after the words "States may levy", the words "fee lower than the amount specified in the table and may also levy" shall be inserted;

[F. No. RT-11017/12/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.__________(E), dated__________ .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.07 13:16:01 +05'30'